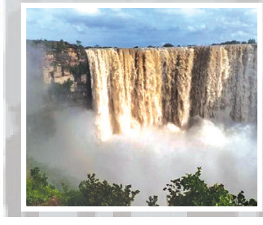
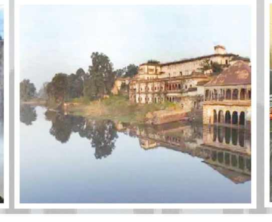

आंधी-तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश, गिरे ओले

शहर में लगे होर्डिंग और बैनर हुए धराशायी, ठप रही विद्युत आपूर्ति, खरीदी केन्द्रों में भींगा गेहूं

नवभारत न्यूज
रीवा, 5 मई, शहर सहित जिले भर में पिछले कुछ दिनो से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. धूप और बादल के साथ आंधी और बारिश भी हो रही है. मंगलवार को सुबह से तेज धूप रही और शाम होते ही मौसम ने करवट बदली. जिसके बाद तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई और कई हिस्सो में ओलावृष्टि भी हुई.

जिसके बाद लोगो को गर्मी से राहत मिली. वही खरीदी केन्द्रो में रखा गेंहू भी भीगने की जानकारी मिली है. जानकारों की माने तो शहर सहित जिले भर में बनाए गये खरीदी केन्द्रों में बारिश से गेहू को बचाने किसी तरह की कोई व्यवस्था नही की गई है. जिसके चलते गेंहू को काफी

नुकसान हुआ है. तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश के चलते विद्युत आपूर्ति भी घंटो ठप्प रही. आंधी बारिश के बाद कुछ जगहों की विद्युत आपूर्ति तो बहाल हो गई. लेकिन शहर सहित ग्रामीण अंचलो में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहा देर रात तक विद्युत आपूर्ति ठप्प रही. कहने को तो विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंश के नाम पर लाखों खर्च किये जाते है पर हल्की आंधी और बारिश होते ही आपूर्ति ठप्प हो जाती है. जिससे लोगो को परेशनियों का सामना करना पड़ता है. शाम को रूक-रूक कर घंटो झमाझम बारिश होती रही. जिससे शहर की नालियां उफान पर आ गई और सफाई व्यवस्था की पोल भी खुल गई. शहर के कई ऐसे वार्ड थे जहा थोड़ी सी बारिश के बाद ही नालियों का पानी सड़को पर बहने लगा और लोग अपने घरो से निकल नही पा रहे थे. गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से लगातार मौसम बदल रहा. कही तेज धूप के साथ गर्मी रहती है तो कही अचानक बादल आ जाते है और आंधी तूफान के साथ बारिश होती है.

जिले में औसत 6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी -जिले में 5 मई को औसत 6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार हुजूर में 2 मि.मी., रायपुर कर्चुलियान में 3 मि.मी., गुढ़ में 18 मि.मी., सिरमौर 4 मि.मी., त्योंथर में 5 मि.मी., सेमरिया में 7 मि.मी., मनगवां में एक मि.मी. तथा जवा में 8 मि.मी. वर्षा हुई।

किराया सूची न चस्पा करने वाली 11 यात्री बसों पर जुर्माना

नवभारत न्यूज
रीवा, 5 मई, रीवा जिले में यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने और नियमों की अनदेखी करने वाली बसो के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है. परिवहन सुरक्षा स्क्वॉड के साथ आरटीओ रीवा ने रतहरा स्थित नए बस स्टैंड और रीवा प्रयागराज मार्ग पर पर औचक निरीक्षण किया.

जिसमें कई बसों में किराया सूची चस्पा नहीं पाई गई ।सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी करने वाली बसों में जांच के दौरान कार्यवाही की गई। परिवहन विभाग ने स्लीपर और एसी बसों में अग्निशमन यंत्र जैसे सुरक्षा मानकों की भी जांच की । नियमों के तहत, स्लीपर बसों में 10 किलोग्राम का अग्निशमन यंत्र अनिवार्य है। 11 बसों पर चालानी कार्रवाई कर निरीक्षण टीम ने कुल 42 बसों की जांच की, जिसमें से 11 बसों में गंभीर खामियां पाए जाने पर उन पर तत्काल चालानी कार्रवाई की गई मौके पर ही बसों में किराया सूची चस्पा की गई ।कार्रवाई के दौरान आरटीओ अधिकारियों ने न केवल बसों को दंडित किया, बल्कि मौके पर ही बसों के अंदर स्पष्ट रूप से किराया सूची चस्पा करवाई ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान किराये की जानकारी रहे और उनसे ज्यादा पैसे न लिए जा सकें।

परिवहन विभाग रीवा ने बस ऑपरेटरों को समझाइस दी है कि बसों में किराया सूची चस्पा करना अनिवार्य है और सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में भी यह सघन जांच अभियान जारी रहेगा।

नशे में धुत महिला का सड़क पर हंगामा, राहगीरों से की अभद्रता

नवभारत न्यूज
रीवा, 5 मई, रीवा शहर में बीच सड़क एक महिला ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया है।

नशे में धुत महिला ने न सिर्फ राहगीरों से अभद्रता की बल्कि एक व्यक्ति की कॉलर पकड़ कर उसे घसीटती भी नजर आई है। फिलहाल सड़क के बीच महिला के इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो भी सामने आया है। बतादे की एक ओर शराब के नशे में धुत महिला सड़क पर हंगामा करती रही थी, तो दूसरी ओर आसपास मौजूद लोग तमाशबीन की तरह उसे देखते रहे। दरअसल यह पूरा मामला शहर के समान थाना क्षेत्र में स्थित समान ओवरब्रिज के नीचे का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक घटना सोमवार रात की है जहां थाने से कुछ ही दूरी पर एक महिला नशे की हालत में सड़क के बीच हंगामा करती नजर आई है।

फिलहाल सड़क पर हुए इस हंगामें के दौरान अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा और कुछ देर के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ।

हालांकि मौके पर लोगो की भीड़ मौजूद रही, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। काफी देर तक चले इस हंगामें के बाद महिला के ही परिवार का एक शख्स मौके पर पहुंचा और उसे अपने साथ घर ले गया। महिला के जाने के बाद लोगो ने राहत के सास ली.

सीईओ जनपद को कारण बताओ नोटिस

नवभारत न्यूज
रीवा, 5 मई, कलेक्टर ने सीईओ जनपद गंगेव श्रीमती प्राची चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष ग्राम बड़ोखर तहसील सिरमौर, जनपद गंगेव निवासी रामलखन नामदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कार्य में ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अनाधिकृत राशि की मांग की गई थी तथा उन्हें पीएम आवास के लाभ से वंचित कर दिया गया है। कलेक्टर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सीईओ जनपद को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में जबाव प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद से हडकम्प मचा है.

संक्षिप्त

कलेक्टर ने सहायक वर्ग-3 को किया निलंबित

रीवा. कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सेमरिया तहसील में पदस्थ प्रवाचक एवं सहायक वर्ग तीन प्रशांत तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान आवेदक मान सिंह, केबिल सिंह, उमेश सिंह एवं बबली सिंह के वारसाना नामांतरण के प्रकरण में लापरवाही व स्वैच्छचारिता बरतने पर सहायक वर्ग तीन प्रशांत तिवारी को कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

स्वर्ण जयंती महामहोत्सव 8 से

रीवा. प्रेममूर्ति पंचरसाचार्य स्वामी रामहर्षणदेवाचार्य जी महाराज द्वारा स्थापित श्री आचार्यपीठ पोडीधाम में अनेक धार्मिक आयोजन धूमधाम से संपन्न होंगे। इस अवसर पर सरकार के कृपापात्र श्रीमद जगदगुरू रामानन्दाचार्य बल्लभाचार्य महाराज का 50 वां जन्मोत्सव स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जायेगा। आगामी 08 मई 2026 को आकर्षक विशाल कलशयात्रा होगी एवं 09 मई से आचार्य महायज्ञ, रामार्चा महायज्ञ, गुरू अर्चा, श्रीमद भागवत तथा रात्रि में वृंदावन की प्रसिद्ध मण्डली द्वारा रासलीला होगी। उक्त महोत्सव अंतराष्ट्रीय ओजस्वी वक्ता वैष्णव संप्रदाय के कुलभूषण श्रीमदजगदगुरू रामानन्दाचार्य श्री श्री 1008 श्री श्री वल्लभाचार्य जी महाराज रामहर्षण मैथिल सख्य पीठाधीश्वर के कृपा आशीर्वाद में संपन्न होगा। उत्सव की तैयारियां पूर्णता की ओर है। पधारे हुये अतिथियों को भोजन एवं आवास की संपूर्ण व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जा रही है।

अधिकारियों, कर्मचारियों का अवकाश प्रतिबंधित

मऊगंज. भारत की जनगणना 2027 अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना संबंधी महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय कार्य एक मई से 30 मई की अवधि में संपादित किया जा रहा है। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना संबंधी कार्य को दृष्टिगत रखते हुये कार्य संपादन में लगे अधिकारियों/ कर्मचारियों के एक मई से 30 मई तक लिये जाने वाले सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंध रहेंगे। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने तत्संबंध में समस्त विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख/प्रभारी अधिकारी, को निर्देशित किया है कि उपरोक्त अवधि के दौरान विशेष परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति उपरांत अवकाश स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

बंगाल में जीत नहीं, जनतंत्र की लूट है : गुरमीत

रीवा. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हुई ऐतिहासिक जीत पर

प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि बंगाल में भाजपा को जनता ने नहीं चुनाव आयोग व केंद्र सरकार की शासकीय तंत्र ने जिताया है. उन्होंने कहा कि उक्त जीत से भाजपा जितना चाहे जश्न मना ले लेकिन उसे आत्म संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती. कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है व विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसे चुनाव आयोग का सहारा क्यों लेना पड़ता है व विपक्षी दलों के सांसद विधायक को ईडीसीबीआई के माध्यम से दर्द धमका कर अपने दल में शामिल करने की उन्हें जरूर क्यों पड़ती है यह बात भले ही भारतीय जनता पार्टी के सत्ताशीर्ष नेताओं को अभी अच्छे दिन के रूप में लगते हैं लेकिन जब जनता भाजपा के कारनामों से पूरी तरह से त्रस्त हो जाएगी तो अंग्रेजो जैसी हालत होती नजर आएगी. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यह जानते हैं कि उनके भ्रष्टाचार आचरण कार्य व्यवहार को देश की जनता जान चुकी है इसी कारण चुनाव आयोग के सहारे लोकतंत्र का गला घोटते हुए सत्ता हथियाने का काम करने में जुटे हैं.

जल पूजन के साथ किया गया श्रमदान

मऊगंज. जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद नवांकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति पटेहरा के द्वारा विकास खंड हनुमना के सेक्टर क्रमांक 03 प्रस्फुटन ग्राम बरांव में जल पूजन, घाट पूजन व जल स्रोतों पर श्रमदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस अवसर पर नवांकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति पटेहरा के अध्यक्ष निवास पटेल व सचिव मदन लाल कुशवाहा, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बरांव के सचिव मनोज तिवारी, जनपद सदस्य ओमप्रकाश तिवारी, ग्राम पंचायत बरांव के सरपंच, सचिव व नागरिकगण उपस्थित रहे.

अवैध कॉलोनियों पर शासन के नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए : बाबा

नवभारत न्यूज
रीवा, 5 मई, महापौर अजय मिश्रा 'बाबा' की अध्यक्षता एवं निगम आयुक्त अक्षत जैन की उपस्थिति में शहर में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

बैठक में जल प्रदाय, सीवरेज, राजस्व वसूली, अतिक्रमण नियंत्रण सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए.

महापौर ने अमृत 2.0 के अंतर्गत जल प्रदाय की प्रगति की समीक्षा करते हुए पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए. उन्होंने मई माह के अंत तक इंटेक वेल एवं प्लांट का कार्य पूर्ण कर 7 जून तक सातों ओवरहेड टैंकों से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही नल कनेक्शन शीघ्रता से करने को कहा. जलकर वसूली, अवैध कनेक्शन की स्थिति एवं योजना की समय-सीमा की जानकारी लेते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि अवैध कनेक्शनों को नियमानुसार मौके पर वैध किया जाए, जिससे निगम की आय में वृद्धि हो तथा योजना समय पर पूर्ण हो सके. उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाते हुए नागरिकों को नियमित एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.

दूषित पानी की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मूल कारण का स्थायी समाधान किया जाए. महापौर ने अवैध कॉलोनियों के चिन्हांकन, नियमितीकरण, एफआईआर एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि वर्ष 2022 के बाद की गई कार्यवाहियों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए. उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर शासन के नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

इस दौरान बैठक में एमआईसी सदस्य पार्षद धनेद्र सिंह बघेल, उपायुक्त एमएस सिद्दीकी, प्रकाश द्विवेदी सहित अधिकारी मौजूद रहे.

लापरवाही बरतने पर दो कर्मचारियों को निलंबित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

नवभारत न्यूज
रीवा, 5 मई, कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने 283 आवेदकों की समस्यायें सुनीं तथा संबंधित आवेदनों में समाधानकारक कार्यवाही के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने व्हीसी के माध्यम से जुड़े एसडीएम तथा तहसीलदार को निर्देशित किया कि अनुभाग स्तर पर जनसुनवाई को और अधिक कारगार बनायें। आवेदकों की समस्यायें सुनें तथा उनका निराकरण करें जिससे उन्हें अनावश्यक जिला स्तर पर न आना पड़े।

कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण कर लंबित आवेदनों में समुचित कार्यवाही नियत समय सीमा में किये जाने के निर्देश देते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि पटवारी व रीडर के पास यदि, सीमांकन के प्रकरण लंबित रहते हैं तो संबंधितों से अर्थदण्ड वसूला जायेगा। उन्होंने सेमरिया तहसीलदार के रीडर, डीपीसी कार्यालय के लिपिक को लपरवाही बरतने पर निलंबित करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई में प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर सीईओ जनपद गंगेव को नोटिस देने तथा तहसीलदार सेमरिया व तहसीलदार गुढ़ का एक दिवस का वेतन काटे जाने का निर्देश दिया। जनसुनवाई में संतोष कुमार निवासी जिउला के सीमांकन, शेर सिंह डभौरा के सीमांकन, जगत सिंह पचामा के नक्शा तरमीम कराने, प्रेमेन्द्र सिंह रायपुर कर्चुलियान के सीमांकन कर अतिक्रमण हटाने के आवेदनों पर संबंधित तहसीलदारों को शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार रौरा निवासी जमुना कुशवाहा के सीमांकन कराकर कब्जा दिलाने की शिकायत पर निराकरण के निर्देश दिये।

नरवाई में आग लगाने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

नवभारत न्यूज
रीवा, 5 मई, कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश गतदिनों जारी किये हैं।

यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में लागू है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। जिले में नरवाई जलाने के 168 प्रकरणों में नोटिस जारी किये गये हैं। उप संचालक कृषि यूपी बागरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील हुजूर में तीन, गुढ़ में 4, मनगवां में 6, सिरमौर में 38, सेमरिया में 12, त्योंथर में 99 तथा जवा में 6 प्रकरणों में प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है।

समर्थन मूल्य पर 62046 मी . टन हुई गेहूं की खरीद

नवभारत न्यूज
रीवा, 5 मई, किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पंजीकृत किसानों से गेंहू का उपार्जन किया जा रहा है।

अब तक 16788 किसानों से 62046 मीट्रिक टन गेंहू का उपार्जन किया गया है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी कमलेश तांडेकर ने बताया कि गेंहू उपार्जन के लिए अब तक 35911 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। उपार्जित गेंहू में से 34017 मीट्रिक टन का परिवहन कराकर सुरक्षित भण्डारण करा दिया गया है। अब तक किसानों को 56 करोड़ 30 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र जारी कर दिए गए हैं। किसानों के खाते में अब तक 19 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उपार्जन के लिए सभी खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिले में 76 खरीदी केन्द्रों में गेंहू का उपार्जन किया जा रहा है। जहा किसान पहुंच रहे है.

विधायक ने सुनी लोगों की समस्याएं, निराकरण के दिए निर्देश

नवभारत न्यूज
रीवा, 5 मई, त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी 'राज' ने मंगलवार को स्थानीय रेस्ट हाउस में जनसुनवाई का आयोजन किया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 'सुशासन और पारदर्शी प्रशासन' के संकल्प को दोहराते हुए विधायक ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और काम में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

घंटों तक चली इस जनसुनवाई में त्योंथर के कोने-कोने से आए ग्रामीणों ने अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर विधायक ने न केवल गंभीरता दिखाई बल्कि कई मामलों में अधिकारियों को मौके पर ही

समाधान के लिए निर्देशित किया. राजस्व, बिजली या पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए यदि किसी गरीब को दफ्तरों की चौखट पर भटकना पड़ा, तो यह संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय होगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की शिकायतों पर विधायक ने पीएचई विभाग को निर्देश दिए कि क्षेत्र का एक भी हैंडपंप खराब नहीं रहना चाहिए. राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि सीमांकन और नामांतरण जैसे लंबित प्रकरणों को समय-सीमा के भीतर निपटाया जाए. विधायक ने स्वयं आवेदकों के पास जाकर आश्वस्त किया कि वे स्वयं इन शिकायतों की मॉनिटरिंग करेंगे. इस अवसर पर तहसीलदार राजेंद्र शुक्ल, जनपद सीईओ प्रवीण बसोर, बिजली विभाग डीई आशीष बेन सहित अधिकारी मौजूद रहे.

जल गंगा संवर्धन अभियान में लापरवाही बरतने वाले 14 अधिकारियों को नोटिस

नवभारत न्यूज
रीवा, 5 मई, जल गंगा संवर्धन अभियान की कार्ययोजना में शामिल जल संरक्षण के कार्यों को पूरा न कराने तथा पूर्ण कार्यों की जानकारी पोर्टल पर न दर्ज करने पर 14 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने अधिकारियों को नोटिस देते हुए कहा है कि 19 मार्च से शुरू जल गंगा संवर्धन अभियान में मनरेगा योजना तथा अन्य योजनाओं से जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य कराए जाने थे। इसके बावजूद जल संरक्षण कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अधूरे कार्यों को पूरा कराने में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। निर्माण कार्यों में प्रगति न होने पर प्रदेश रैंकिंग में रीवा और मऊगंज जिले लगातार नीचे जा रहे हैं। इस संबंध में संबंधित अधिकारी अपना प्रतिवेदन 7 मई को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। नोटिस का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर एक पक्षीय वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जल गंगा संवर्धन अभियान में लापरवाही बरतने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा सुलाभ सिंह पुशाम, रीवा पूनम दुबे, गंगेव प्राची चौबे, त्योंथर प्रवीण बसोड़, सिरमौर हरिश्चन्द्र द्विवेदी, नईगढ़ी ऊषा किरण गुप्ता, रायपुर कर्चुलियान प्रदीप दुबे और मऊगंज परमानंद तिवारी को नोटिस दिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सहायक यंत्री जवा आशुतोष सिंह गहरवार, सहायक यंत्री रीवा तथा रायपुर कर्चुलियान अनिल तिवारी, सहायक यंत्री गंगेव तथा सिरमौर श्रीकांत द्विवेदी, सहायक यंत्री त्योंथर नमिता सोनी, सहायक यंत्री मऊगंज तथा नईगढ़ी आरपी मिश्रा और सहायक यंत्री हनुमना अंकिता सोहगौरा को नोटिस दिया है। इसी तरह ग्राम पंचायत सचिवों तथा रोजगार सहायकों को भी बताओ नोटिस दिया है।

लोक अदालत के प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी

रीवा, 5 मई, 9 मई को संपूर्ण जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान द्वारा नेशनल लोक अदालत के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश संदीप शर्मा, जिला न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़, जिला न्यायाधीश जितेन्द्र नारायण सिंह उपस्थित रहें।